तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13-12-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय प. उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3-01-25 को पेश हों। कार्य स्थगन
3-01-25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-01-25 को पेश हों।
17-01-25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24-01-2025 को पेश हो।
24.01.25	पत्रावली आज प्रार्थना पत्र के निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन उपरान्त हमारे मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद प्रति संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी तालेडा (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 9/2022 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 20.02.2023 श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

बाबू लाल आत्मज श्री मूल चन्द्र सुवालका जाति कलाल निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. शम्भू दयाल आ0 नंद श्री नारायण जाति तेली निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. नाथूलाल आ0 श्रीलाल जी जाति तेली निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. नरेश आ0 श्री नाथूलाल जाति तेली निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्रियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री दिनेश शर्मा (एडवोकेट प्रार्थी)
2. श्री सुनील सेन(एडवोकेट अप्रार्थिगण 1 ता0 3)
3. अप्रार्थी सं 4 अनुपस्थित

दिनांकः– २५.01.2025

निर्णय

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खाता सं 62 खसरा संख्या 219 रकबा 0.08है0 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जिसकी नकल जमाबंदी संलग्न है। कृषि भूमि पर कुआं बना हुआ है और शेष रिक्त भूमि पर प्रार्थी शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। प्रार्थी विधिवत अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवा कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पत्थरगढी दिनांक 18.05.2022 को करवा कर अपनी भूमि पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। अप्रार्थिगण प्रार्थी की भूमि को ताकत के बल पर हडप करना चाहते है। दिनांक 26.12.2022 को प्रार्थी का पुत्र भौतिक कृषि भूमि पर तत्थरगढ़ी करवा रहा था तो अप्रार्थिगण ने प्रार्थी की भूमि पर आकर प्रार्थी के पुत्र के साथ मारपीट की जिससे वह चौटिल हो गया और प्रार्थी के पुत्र न भागकर जान बचाई जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में पेश की गई और भविष्य में ताकत के बल वाद विषयक आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी गई यही वाद का कारण है जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा है ऐसा करने का अप्रार्थिगण को अधिकार नहीं है। अप्रार्थिगण प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है उक्त भूमि आम रास्ता, सडक, इन्द्रगढ़ सु0मण्डी से लगी हुई है और आबादी के पास होने से बेशकीमती हैं। प्रार्थी के वाद में समय लगने की संभावना है और कई नये विवाद पेश होने की सम्भावना है। प्राथमिक दृष्ट्या केस प्रमाणित है और अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अन्त प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ताफैसला वाद अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वे वाद विषयक कृषि भूमि पर प्रार्थी की काश्त व्यवस्था, उपयोग व उपभोग में दखल नहीं देवे, जबरन ताकत के बल पर काबिज शुदा कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करें ऐसा न स्वयं करें नहीं अपने किसी प्रतिनिधी से करावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

1/3

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 219 में कुआ स्थित है तथा उक्त भूमि का विधिवत रूप से न सीमाज्ञान हुआ है न ही वर्तमान में कोई पत्थरगढी हो रही है। बल्कि सच्चाई यह है कि वाद विषयक कृषि भूमि जिसको प्रार्थी अपना बताता है वह फर्जी तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। उक्त कुआं प्राचीनकाल से ही तैलियों के कुऐ के नाम से जाना जाता है तथा कुऐ के समीप ही प्राचीनकालिन तिलकेश्वर महादेव का मन्दिर बना हुआ है जिस पर प्रार्थी नाजायज कब्जा करना चाहते है। दिनांक 26.12.2022 को प्रार्थी के पुत्र भोतिक सुवालका ने मौके पर तैली समाज के लोगों के साथ लडाई झगडा किया तथा मन्दिर पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश किया तथा मन्दिर पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की कोशिश की जिसको समाज के लोगों द्वारा बडी मुश्किल से रोका वरना प्रार्थी व उसका पुत्र मन्दिर पर कब्जा कर उसे खुर्द बुर्द कर देता। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय को गुमराह कर एकपक्षीय पत्थरगढ़ी के आदेश करवा लिये जबकि उक्त भूमि के मालिकाना हक को लेकर एक वाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। प्रार्थी का वाद विषयक कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। प्रार्थी अपने नाम का फायदा उठाकर मंदिर की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थिगण ने अन्य आक्षेप जवाब प्रार्थना पत्र अंकित कर कथन किया कि इन्द्रगढ़ कस्बा पूर्व में स्टेट हुआ करता था तथा यहां स्थित सार्वजनिक कुयें बावडियां आदि पर राजा महाराज का स्वामित्व था तथा अधिकांश कुयें बावडियां आदि उन्ही के नाम हुआ करती थी इसलिए उक्त खसरा संख्या 219 पूर्व में विद्योत्मा कुमारी नाबालिग पुत्री भगवतीसिंह संरक्षक वली नाता श्रीनती हेमन्त कुमारी पत्नी भगवती सिंह के नाम दर्ज थी। प्रार्थी ने उक्त भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय होना बताया है जबकि तहसील इन्द्रगढ़ में पता करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 16.09.1996 को प्रार्थी के नाम कोई दस्तावेज पंजीयन नहीं हुआ है तथा उक्त विक्रय पत्र का तहसील कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के नाम उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हुई है तथा वाकई उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान किया गया होता तो राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कोर्ट की कार्यवाही का सहारा नहीं लेना पड़ता। प्रार्थी ने पूर्व में एक वाद प्रकरण संख्या 236/दावा/2003 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में पेश किया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के यहां की गई जहां एक तरफा कार्यवाही से प्रार्थी के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण खौलने के आदेश हुये थे जिसके आधार पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने नामांतकरण खौला है जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसका अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। प्रार्थी स्टे लेकर जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर जमीन अपने नाम करवाने को लेकर माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब इन्द्रगढ़ के यहां परिवाद विचाराधीन है। अतः प्रार्थी का केस किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है ना ही उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है तथा ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रार्थी वाद विषयक भूमि का रिकॉर्ड खातेदार है एवं प्रार्थी का भूमि पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थिगण 1 लगायत 3 प्रार्थी की भूमि को ताकत के बल पर हडप करना चाहते है। उक्त भूमि आम रास्ता, सडक, इन्द्रगढ़ सु0मण्डी से लगी हुई है और आबादी के पास होने से बेशकीमती हैं। प्राथमिक दृष्ट्या केस प्रमाणित है और अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अप्रार्थिगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। अप्रार्थिगण अधिवक्ता ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि वाद

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

विषयक कृषि भूमि पर कुआं स्थित है उक्त कुआं प्राचीनकाल से ही तैलियों के कुऐ के नाम से जाना जाता है तथा कुऐ के समीप ही प्राचीनकालिन तिलकेश्वर महादेव का मन्दिर बना हुआ है जिस पर प्रार्थी नाजायज कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी व उसका पुत्र मन्दिर पर कब्जा कर उसे खुर्द बुर्द करना चाहते है। प्रार्थी ने फर्जी तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित करवाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र फर्जी है। उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर व माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब इन्द्रगढ़ के यहां परिवाद विचाराधीन है। प्रार्थी का केस किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अवलोकन से विवादित आराजी खसरा संख्या 219 रकबा 0.0800है0 किस्म गैर मुमकिम चाह वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थी बाबूलाल पुत्र मूलचन्द सुवालका जाति कलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी नकल दिनांक 10.01.2022 में प्रार्थी का नाम अंकित है। पत्रावली के अवलोकन से उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी के विरूद्ध एफ0आई0दर्ज दिनांक 08.02.2023 को दर्ज होना, थानाधिकारी इन्द्रगढ़ द्वारा एक इस्तगाशा अन्तर्गत धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 का तहसीदार इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करना पाया जाता है। अप्रार्थिगण ने अपने कथनों में उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर व माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब इन्द्रगढ़ के यहां परिवाद विचाराधीन होना अवगत कराया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.05.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट से जाहिर आता है कि उक्त भूमि में नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वारा निर्मित विश्रामगृह का कुछ भाग भी है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी बाबूलाल का प्रश्नगत सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। उभयपक्षों के वाद विषयक भूमि पर हक अधिकारों का निर्णय मूल वाद में उनके साक्ष्य व सबूतों के अधार पर ही तय किए जा सकते है। उभयपक्षों के मध्य प्रश्नगत आराजी को लेकर वाद बहुलता बढ़ने की सम्भावना को मध्यनजर हम उभयपक्षों को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षकरान को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 219 रकबा 0.08है0 वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद पूर्ति संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक २५–01–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)